Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 03/2015 सी.आई.एस.क्र.– 14303/2015

गोपाल मंडल एवं अन्य बनाम बच्चे लाल साह एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
06.01.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। अन्य प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.11.2024 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से नियत समय के भीतर राजस्व लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। प्रतिवादी द्वारा उक्त लगान रसीद सूची के साथ दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। वादीगण के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी का दावा है कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 के पिता जगदेव साह के द्वारा खरीद किया गया है और खरीदगी के पश्चात से लगान रसीद उनके नाम से निर्गत हो रहा है। प्रतिवादीगण के लिखित कथन से स्पष्ट है कि वाद भूमि से संबंधित लगान रसीद उनके दखल–कब्जे में था परंतु फिर भी प्रतिवादीगण नियत समय के भीतर उक्त लगान रसीद को प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिस कारण से प्रतिवादीगण का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 की ओर से दस्तावेज की सूची के साथ प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान दिनांक 19.11.2024 को लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादी सं0 2 एवं 4 की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 19.11.2024 को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 28.01.2026 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	